	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	आश्विन 9, गुरूवार, शाके 1942–अक्टूबर 1, 2020 *Asvina 9, Thursday, Saka 1942–October 1, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 22, 2020

संख्या प.1(2)न्याय/2008.- राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2)न्याय/2008 दिनांक 28.02.2019 के कॉलम संख्या 3 में आंशिक संशोधन करते हुए, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरनोद के क्षेत्राधिकार में निम्नानुसार परिवर्तन करती है-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	बैठक का स्थान	जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम
1	2	3	4	5
1.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरनोद	अरनोद उपखण्ड एवं पीपलखूंट उपखण्ड	अरनोद	प्रतापगढ

राज्यपाल के आदेश से
विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव

5918

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।